(कायदा – 129)

जनरल रूल्स सिविल रूल्स 129 अपेन्डेंक्स फार्म नंबर 8 के

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बिजौलिया जिला – भीलवाड़ा (राज.)

2024/244

किस्म मुकदमा 1	नंबर मुकदमा 2	तारीख दायर 3	तारीख फैसला 4	पेशी दिनांक 5
111-128 प्रार्थना पत्र	167/24	23/5/24	24/6/24	6/6/24

अनवान

श्री उदा पिता सोनाथ गुर्जर श्री कैलाशी पत्नि ईश्वर बंजारा

निवासी जगमोहनपुर, तह. जहाजपुरा निवासी सावंत जी का खेड़ा

अधिवक्ता वादी / प्रार्थी /अपीलान्ट अधिवक्ता प्रतिवादी / विपक्षी/ रेस्पोडेंट

डिक्रीदार मदयून

श्री उदयलाल गुर्जर श्री

FORM NO. III

फर्द अहकम

(नियम 26)

आज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम बिजौलियां

उदा बनाम केसारी

मिसल मुकदमा 111-128 नम्बर 167 /2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
23/05/2024	प्रार्थना पत्र सीगे से वाद जांच पेश हुआ। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस मय नकल प्रार्थना पत्र जारी हों। पत्रावली वास्ते तलबी/जवाब दिनांक 06/06/2024 को पेश हों।

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां

6/6/24	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। विपक्षीगण की बाद तामील प्राप्त हुई, जिसे शामिल पत्रावली किया गया। विपक्षीगण के विरुद्ध एक-पक्षीय आदेश पारित किए गए। पत्रावली वास्ते आदेश आगामी दिनांक 24/6/24 को पेश हो।

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

24/6/24	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। पत्रावली में आदेश पारित किए गए। पत्रावली में तहसीलदार बिजौलिया को तहरीर जारी की गई। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

न्यायालय **उपखण्ड** अधिकारी ,बिजौलियॉ **जिला भीलवाड़ा**(राजस्थान)

प्रकरण संख्या :– 167/24

तारीख दायर 23/5/24

1–उदा पुत्र सोनाथ जाति गुर्जर उम्र वयस्क निवासी जगमोहनपुरा तहसील जहाजपुर जिला शाहपुरा(राज.)

2 सुखदेव पुत्र सोनाथ जाति गुर्जर उम्र वयस्क निवासी जगमोहनपुरा तहसील जहाजपुर जिला शाहपुरा(राज.)

–प्रार्थीगण

बनाम

1 कैलाशी पत्नि ईश्वर जाति बंजारा उम्र वयस्क निवासी सावत जी का खेडा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा(राज.)

2 नन्दा पुत्र देवा जाति मीणा उम्र वयस्क निवासी लछमीपुरा तहसील काछोला जिला शाहपुरा(राज.)

3 भूमिधारी अधिकारी श्रीमान तहसीलदार महोदय बिजौलिया जिला भीलवाड़ा(राज.)

–विपक्षीगण

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

:–आदेशः–

दिनांक 24/06/24

प्रार्थनापत्र उदा पुत्र सोनाथ सुखदेव पुत्र सोनाथ ने जरिये अधिवक्ता **श्री दीपक मीणा एडवोकट** प्रस्तुत कर निवेदन है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते कि **भूमि मौजा ग्राम धनवाडा पटवार क्षेत्र माल का खेडा भू–अभिलेख निरिक्षक क्षैत्र श्यामपुरा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा(राज.) में स्थित खाता संख्या 732 आराजी नंबर 515/8 रकबा 0.1619 हैक्टेयर भूमि** स्थित हैं। विपक्षीगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर झगड़ा फसाद करते हैं। अतः पत्थरगढी का आदेश प्रदान कराया जावें साथ मे प्रार्थनापत्र की ताईद में शापथपत्र संलग्न है।

प्रार्थनापत्र रजिस्टर करवाया गया है। प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी सम्वत 2074–2077 जमाबंदी 2077 का अवलोकन से प्रार्थीगण वादग्रस्त आराजियात का खातेदार /गैर खातेदार का तकार है। पडोसियान के विवाद करने बाबत् शपथपत्र संलग्न हैं। पत्थरगढी से किसी के स्वात्व पर कोई विपरीत प्रभाव नही पडता हैं।

अतः प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट स्वीकार किया **भूमि मौजा ग्राम धनवाडा पटवार क्षैत्र माल का खेडा भू–अभिलेख निरिक्षक क्षैत्र श्यामपुरा तहसील** बिजौलिया जिला

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा

भीलवाडा(राज.) में स्थित खाता संख्या 732 आराजी नंबर 515/8 रकबा 0.1619 हैक्टेयर भूमि की बाशामालात पड़ोसियान के पत्थरगढी करने हेतु आदेशित किया जाता है एंव पत्थरगढी शुल्क राशि 100/-रूपये राजकोश मे जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियॉ को लिखा जावे ।

प्रार्थनापत्र निर्णित हो कर नम्बर से कम हों।

आदेश सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियॉ

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ (भीलवाड़ा)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ,बिजौलियॉ जिला भीलवाड़ा(राजस्थान)

प्रकरण संख्या :– 167/24 तारीख दायर 23/5/24

प्रेशितिः–

तहसीलदार

बिजौलियॉ

विषय :–प्रकरण संख्या ....167/24........ पत्थरगढी बाबत्।

1–उदा पुत्र सोनाथ जाति गुर्जर उम्र वयस्क निवासी जगमोहनपुरा तहसील जहाजपुर जिला शाहपुरा(राज.)

2 सुखदेव पुत्र सोनाथ जाति गुर्जर उम्र वयस्क निवासी जगमोहनपुरा तहसील जहाजपुर जिला शाहपुरा(राज.) –प्रार्थीगण

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ (भीलवाड़ा)

बनाम

1 कैलाशी पत्नि ईश्वर जाति बंजारा उम्र वयस्क निवासी सावत जी का खेडा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा(राज.)

2 नन्दा पुत्र देवा जाति मीणा उम्र वयस्क निवासी लछमीपुरा तहसील काछोला जिला शाहपुरा(राज.)

3 भूमिधारी अधिकारी श्रीमान तहसीलदार महोदय बिजौलिया जिला भीलवाड़ा(राज.) –विपक्षीगण

उपर्युक्त विषयान्तर्गत अनवानी प्रकरण में आदेश होकर लेख है कि **भूमि मौजा ग्राम धनवाडा पटवार क्षैत्र माल का खेडा भू–अभिलेख निरिक्षक क्षैत्र श्यामपुरा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा(राज.) में स्थित खाता संख्या 732 आराजी नंबर 515/8 रकबा 0.1619 हैक्टेयर भूमि**की बशमलात पडोसीयान के पत्थरगढी कि जावें। मौके पर पत्थरगढी के दौरान कब्जा किसी अन्य का पाया जावे तो जरिये पत्थरगढी कब्जा नही हटाया जावे तथा समक्ष न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने हेतु सूचित करें। आदेश पत्थरगढी हेतु भू–अभिलेख निरीक्षक **श्यामपुरा** को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस नियमानुसार तय कि जाती है वक्त मौके पर प्रार्थीगण अदा करेंगा। पत्थरगढी करने से पुर्व पडोसी एवं विपक्षीगणो को सुचित करते हुए पत्थरगढी करें।

पत्थरगढी कर पालना रिपोर्ट 20 दिन में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलिया

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा